

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2011—कार्तिक 6, शक 1933

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-544-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रवीण गर्ग, आयएएस., आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को दिनांक 17 से 22 अक्टूबर 2011 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश को

अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा आयुक्त, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय कुमार शुक्ला, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

### राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. एफ. 16-30-2011-सात-2ए.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्री रविशंकर पटले, संयुक्त कलेक्टर, अशोकनगर को जिले में अपर कलेक्टर की शक्तियां प्रदत्त करता है. श्री पटले, संयुक्त कलेक्टर, अशोकनगर को उनकी अशोकनगर जिले में पदस्थ अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
किरण मिश्रा, अवर सचिव.

### तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र. एफ 1-14-2011-बयालीस(1).—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अधिसूचना क्रमांक फा.स 37-3-विधि-2010, दिनांक 5 मार्च 2010 द्वारा में पी.टी.आई. को सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक Asstt. Director of Physical Education तथा प्रवर ग्रेड को कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक Collage Director of Physical Education पदनाम दिया गया है.

2. अतः तदनुसार राज्य शासन द्वारा विभाग के अधीन समस्त इंजीनियरिंग तथा पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों में कार्यरत पी.टी.आई. का नाम परिवर्तित करते हुए, सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक Asstt. Director of Physical Education प्रवर ग्रेड को कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक Collage Director of Physical Education किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शशि कर्णावत, उपसचिव.

क्र. R1462-07-बारह-1.—मेसर्स रूंगटा माईन्स लि. द्वारा जिला सीधी एवं शहडोल में सोना खनिज के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 365 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 182.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960, के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है. इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960, के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा, खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

बिन्दु	अक्षांश	देशांश
(1)	(2)	(3)
<b>खण्ड 1</b>		
1	24° 01' 45.00''	81° 10' 00.00''
2	24° 03' 39.00''	81° 14' 16.00''
3	24° 04' 52.00''	81° 13' 49.00''
4	24° 06' 45.00''	81° 18' 27.00''
5	24° 03' 57.30''	81° 14' 48.20''
6	24° 01' 15.80''	81° 14' 47.40''
7	24° 08' 57.80''	81° 27' 57.80''
8	24° 08' 30.10''	81° 27' 50.80''
9	24° 08' 31.70''	81° 28' 49.10''
10	24° 06' 31.70''	81° 28' 45.00''
<b>खण्ड 2</b>		
11	24° 09' 43.00''	81° 17' 12.00''
12	24° 12' 47.50''	81° 25' 00.80''
13	24° 09' 00.00''	81° 20' 00.00''
14	24° 08' 49.20''	81° 20' 00.00''
15	24° 06' 57.30''	81° 18' 21.80''
<b>खण्ड 3</b>		
16	24° 12' 47.50''	81° 25' 00.80''

(1)	(2)	(3)	as per 7(1)(i)(a) of the said rules. Details of the area are as below:—		
			PTS	LATITUDE	LONGITUDE
			(1)	(2)	(3)
17	24° 12' 54.70''	81° 29' 00.00''			
18	24° 11' 53.90''	81° 29' 03.30''			
19	24° 11' 04.70''	81° 26' 11.80''			
20	24° 10' 00.00''	81° 36' 11.50''	1	24° 01' 45.00''	81° 10' 00.00''
21	24° 10' 00.00''	81° 27' 47.40''	2	24° 03' 39.00''	81° 14' 16.00''
22	24° 10' 11.11''	81° 27' 47.40''	3	24° 04' 52.00''	81° 13' 49.00''
23	24° 10' 11.11''	81° 28' 28.00''	4	24° 06' 45.00''	81° 18' 27.00''
24	24° 07' 02.00''	81° 30' 00.00''	5	24° 03' 57.30''	81° 14' 48.20''
25	24° 14' 45.00''	81° 30' 00.00''	6	24° 01' 15.80''	81° 14' 47.40''
26	24° 12' 47.50''	81° 25' 00.80''	7	24° 08' 57.80''	81° 27' 57.80''
			8	24° 08' 30.10''	81° 27' 50.80''
			9	24° 08' 31.70''	81° 28' 49.10''
			10	24° 06' 31.70''	81° 28' 45.00''

## BLOCK 2

इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र अवीक्षी अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन", 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

11	24° 09' 43.00''	81° 17' 12.00''
12	24° 12' 47.50''	81° 25' 00.80''
13	24° 09' 00.00''	81° 20' 00.00''
14	24° 08' 49.20''	81° 20' 00.00''
15	24° 06' 57.30''	81° 18' 21.80''

## BLOCK 3

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. R1462-07-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 13 अक्टूबर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 13th October 2011

No R1462-07-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of the Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an Area of 182.50 km<sup>2</sup> out of 365 km<sup>2</sup> in Sidhi & Shahdol districts which was previously held by M/s Rungta Mines Limited, for the reconnaissance operations of Gold mineral, under reconnaissance permit, which has now been relinquished

The area shall be available for regrat of reconnaissance permit after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब-(एक)-3602-3603-011.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1" में, दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 16 तथा 43 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

## अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"16.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डिण्डौरी सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी.	डिण्डौरी
43.	सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी	शिवपुरी."

F. No. 1-1-88-XXI-B(1)-3603-011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B (1), dated 24th October, 2009 which was published in the "Madhya Pradesh, Gazette Part-I", dated 6<sup>th</sup> November, 2009 namely :—

## AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 16 and 43 entries relating thereto, the

following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

## SCHEDULE

S.No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"16.	Additional Sessions Judge, Dindori.	Dindori
43.	Session Judge, Shivpuri.	Shivpuri."

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

फा. क्र. 1 (अ)3-03-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन निम्नलिखित अधिवक्ताओं को महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर एवं ग्वालियर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे.

## महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर

क्र.	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विजय शंकर पाण्डे	उप महाधिवक्ता	23,000/-
2	श्री समदर्शी तिवारी	शासकीय अधिवक्ता	20,000/-

## महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर

क्र.	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती संगीता पचौरी	उप शास. अधिवक्ता	17,000/-

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

फा. क्र. 17-(ई) 83-03-3692-इक्कीस-ब(एक)/011.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17-(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

- (1) अनुक्रमांक 75 और 84 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“75.	रतलाम	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम.	श्रीमती आशा गोधा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम.
84.	सतना	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.	श्रीमती अनुराधा शुक्ला, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.

- (2) अनुक्रमांक 85 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“85-ए.	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन.	श्री एम.एस.ए. अंसारी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन.

विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित किये जाएंगे.

F. No. 17(E)83-03-3692-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, namely:—

### AMENDMENT

In the said Notification, in the table,

- (1) For serial number 75 and 84 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S.No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
“ 75.	Ratlam	IIInd Additional Sessions Judge, Ratlam.	Smt. Asha Godhe, IIInd Additional Sessions Judge. Ratlam.
84.	Satna	IVth Additional Sessions Judge, Satna.	Smt. Anuradha Shukla, IVth Additional Sessions Judge, Satna.”.

(2) After serial number 85, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S.No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
“ 85-A.	Satna	Additional Sessions Judge, Amarpatan	Shri M.S.A. Ansari, Additional Sessions Judge, Amarpatan.”.

The Pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted Court according to their territorial Jurisdiction.

फा. क्र. 17-(ई) 83-03-3056-इक्कीस-ब(एक)/011.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17-(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 83, 84 और 85 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“83.	सतना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.	सिविल जिला सतना के सतना शहर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 84 एवं 84-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
84.	सतना	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.	सिविल जिला सतना के सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 84-ए एवं 85 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
85.	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर	मैहर का विद्युत् क्षेत्र.
85-ए	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन	अमरपाटन का विद्युत् क्षेत्र.”.

**टिप्पणी:**—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E)83-03-3056-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, namely:—

## AMENDMENTS

In the said Notification, in the table, for serial numbers 83, 84 and 85 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S.No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“ 83.	Satna	IIIrd Additional Sessions Judge, Satna	All electricity Area of Civil District Satna of Satna Urban (excluding the jurisdiction of special court at serial number 84 and 84-A).
84.	Satna	IVth Additional Sessions Judge, Satna	All electricity Area of Civil District Satna of Satna Rural (excluding the jurisdiction of special court at serial number 84-A and 85).
85.	Satna	Additional Sessions Judge, Maihar.	Electricity area of Maihar.
85-A.	Satna	Additional Sessions Judge, Amarpatan.	Electricity area of Amarpatan.”.

**Note:—** The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted court according to their territorial jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (श्रम) जिला डिण्डौरी,  
मध्यप्रदेश

डिण्डौरी, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

क्र. 539-2011.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं जी. व्ही. रश्मि कलेक्टर, डिण्डौरी बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13(3) के अन्तर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति पुनर्गठन का एतद्वारा करती हूँ:—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश

धारा 13(2) खण्ड (क) के अनुसार

(1) अपर जिला दण्डाधिकारी, डिण्डौरी, मध्यप्रदेश अध्यक्ष

धारा 13(2) खण्ड (ख) के अनुसार

- (1) डॉ. राम सिंह धुर्वे, ग्राम पो. डुगरिया, सदस्य  
जिला डिण्डौरी.
- (2) श्री मान सिंह करपेती, ग्राम पो. गाडासरई, सदस्य  
जिला डिण्डौरी.
- (3) श्री भारत सिंह नेटी, ग्राम पो. करंजिया, सदस्य  
जिला डिण्डौरी.

धारा 13(2) खण्ड (ग) के अनुसार

- (1) श्री वीरेन्द्र सोनी, गायत्री मंदिर के पास सदस्य  
डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी.
- (2) श्री के. एस. राजपूत, सुबखार डिण्डौरी, सदस्य  
जिला डिण्डौरी.

## धारा 13(2) खण्ड (ग) के अनुसार

- |   |       |
|---|-------|
| (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी.   | सदस्य |
| (2) पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डौरी.                     | सदस्य |
| (3) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला डिण्डौरी. | सदस्य |

## धारा 13(2) खण्ड (च) के अनुसार

- |   |       |
|---|-------|
| (1) भारतीय स्टेट बैंक इंदौर शाखा, डिण्डौरी जिला डिण्डौरी. | सदस्य |
|---|-------|

## 1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग डिण्डौरी

## धारा 13(2) खण्ड (क) के अनुसार

- |   |         |
|---|---------|
| (1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डिण्डौरी मध्यप्रदेश. | अध्यक्ष |
|---|---------|

## धारा 13(3) खण्ड (ख) के अनुसार

- |   |       |
|---|-------|
| (1) श्री भारत सिंह नेटी, ग्राम पो. करंजिया, जिला डिण्डौरी.    | सदस्य |
| (2) श्री अशोक कुमार साहू, ग्रा. पो. बजाग, जिला डिण्डौरी.      | सदस्य |
| (3) श्री हरिनारायण खैरवार, ग्रा. पो. डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी. | सदस्य |

## धारा 13(3) खण्ड (ग) के अनुसार

- |   |       |
|---|-------|
| (1) श्री घनश्याम यादव, ग्रा. अलोनी पो. अमरपुर, जिला डिण्डौरी. | सदस्य |
|---|-------|

## धारा 13(3) खण्ड (घ) के अनुसार

- |   |       |
|---|-------|
| (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डिण्डौरी. | सदस्य |
| (2) अध्यक्ष, जनपद पंचायत, डिण्डौरी                  | सदस्य |
| (3) सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी.  | सदस्य |

## धारा 13(3) खण्ड (ङ) के अनुसार

- |  |       |
|--|-------|
| (1) भारतीय स्टेट बैंक इंदौर शाखा, डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी. | सदस्य |
|--|-------|

## 2. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, शहपुरा

## धारा 13(2) खण्ड (क) के अनुसार

- |   |         |
|---|---------|
| (1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहपुरा मध्यप्रदेश. | अध्यक्ष |
|---|---------|

## धारा 13(3) खण्ड (ख) के अनुसार

- |   |       |
|---|-------|
| (1) रामदीन तेकाम, ग्राम सरसी, जनपद पंचायत, मेंहदवानी.           | सदस्य |
| (2) श्री हरिप्रसाद गौलिया, ग्रा. पं., गुरैया हाल मुकाम, शहपुरा. | सदस्य |
| (3) श्री सुरेन्द्र कुमार मरकाम, ज.पं., शहपुरा                   | सदस्य |

## धारा 13(3) खण्ड (ग) के अनुसार

- |  |       |
|--|-------|
| (1) श्री उदय कुमार पाठक, निवासी शहपुरा                               | सदस्य |
| (2) कु. कृष्णा उरैती, ग्रा. पं., कस्तूरी पिपरिया, हाल मुकाम, शहपुरा. | सदस्य |

## धारा 13(3) खण्ड (घ) के अनुसार

- |  |       |
|--|-------|
| (1) तहसीलदार शहपुरा, जिला डिण्डौरी                       | सदस्य |
| (2) परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, शहपुरा. | सदस्य |
| (3) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मेंहदवानी, जिला डिण्डौरी. | सदस्य |

## धारा 13(3) खण्ड (ङ) के अनुसार

- |  |       |
|--|-------|
| (1) प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक, शहपुरा. | सदस्य |
|--|-------|

जी. व्ही. रश्मि, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. 1311-96-7-जागीर-11.—बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में



लाते हुये, मैं, सी.बी.सिंह, कलेक्टर, जिला विदिशा, जिला एवं उपखण्डों के लिये सतर्कता समितियों का गठन निम्नानुसार करता हूँ:—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति, विदिशा

धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (ए) के अधीन

अध्यक्ष

(1) जिला दण्डाधिकारी, विदिशा

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अधीन

सदस्य

1. श्री खूबचन्द्र अहिरवार, लुहांगी मोहल्ला, विदिशा
2. श्री अनिल सोनकर, निवासी, विदिशा
3. श्री निरपत सिंह कुशवाह, निवासी विदिशा.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (सी) के अधीन

सदस्य

1. श्री यतिन्द्र बहुगुणा, निवासी विदिशा
2. श्रीमति मिथलेश अग्रवाल, नंदवाना विदिशा.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (डी) के अधीन

सदस्य

1. पुलिस अधीक्षक, विदिशा
2. मुख्य कार्यपालन अधि. जिला पंचायत, विदिशा
3. जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, विदिशा.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) के अधीन

सदस्य

1. अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, विदिशा.

विदिशा जिले के उपखण्ड, विदिशा

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) के अधीन

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) विदिशा.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अधीन

सदस्य

1. श्री संतोष अहिरवार, निवासी माता मंदिर रोड, मोहनगिरी विदिशा.
2. श्री जून सिंह आदिवासी, ग्राम छीरखेड़ा विदिशा

3. श्रीमति खूबीबाई पत्नि श्री राधे आदिवासी, निवासी पूरनपुरा, विदिशा.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (सी) के अधीन

सदस्य

1. श्री रघुवीर सिंह चौहान, निवासी विदिशा
2. श्री भानुप्रकाश सिंह राजपूत, निवासी खाईखेड़ा.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (डी) के अधीन

सदस्य

1. नगर पुलिस अधीक्षक, विदिशा
2. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, विदिशा
3. अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, विदिशा.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) के अधीन

सदस्य

1. प्रबंधक, विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा.

विदिशा जिले के उपखण्ड, लटेरी

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) के अधीन

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लटेरी.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अधीन

सदस्य

1. श्री लक्ष्मण सिंह अहिरवार, निवासी लटेरी
2. श्रीमती गीताबाई अहिरवार, निवासी लटेरी
3. श्री इल्यास खां, ग्राम अमराई.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (सी) के अधीन

सदस्य

1. श्री भगवान सिंह कुशवाह, ग्राम जावती
2. श्री स्वदेश जैन, मुरारिया
3. श्रीमति शांतिबाई भील, ग्राम ताजपुरा.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (डी) के अधीन

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, लटेरी
2. अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस लटेरी
3. नगर पंचायत लटेरी.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) के अधीन

सदस्य

1. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, लटेरी.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (एफ) के अधीन

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील, लटेरी.

विदिशा जिले के उपखण्ड, सिरोंज

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) के अधीन

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सिरोंज.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अधीन

सदस्य

1. श्री अमोल सिंह जाटव, निवासी मलसीपुर, सिरोंज
2. श्री रामचरण शाक्य, निवासी सिरोंज
3. श्री दौलत सिंह नायक, ग्राम गंगाखेड़ीखुर्द.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (सी) के अधीन

सदस्य

1. श्री लाखन सिंह गुर्जर, निवासी कांकरखेड़ीखुर्द
2. श्री बारेलाल सेहरिया ग्राम भूकरी पंचा. पैकोली.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (डी) के अधीन

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, सिरोंज
2. थाना प्रभारी, सिरोंज.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) के अधीन

सदस्य

1. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, हाजीपुर, सिरोंज.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (एफ) के अधीन

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील, सिरोंज.

विदिशा जिले के उपखण्ड, कुरवाई

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) के अधीन

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कुरवाई.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अधीन

सदस्य

1. श्रीमति दुर्गाबाई पंथी, वार्ड नं.-13 कुरवाई
2. श्री गोपाल सिंह गौड़, निवासी कुरवाई
3. श्री करोड़ी सिंह, ग्राम उकावद.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (सी) के अधीन

सदस्य

1. श्री सीताराम सैनी, निवासी कुरवाई
2. श्री विमल कुमार जैन, निवासी पठारी.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (डी) के अधीन

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, कुरवाई
2. थाना प्रभारी, कुरवाई.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) के अधीन

सदस्य

1. प्रबंधक, विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कुरवाई.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (एफ) के अधीन

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील, कुरवाई.

विदिशा जिले के उपखण्ड, नटेरन

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) के अधीन

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) नटेरन.

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अधीन

सदस्य

1. श्री हरिचरण अहिरवार, ग्राम शमशाबाद, अ.जा.
2. श्री खिलान सिंह जाटव, ग्राम कस्बाखेड़ी, अ.जा.
3. श्री हुकम सिंह मोंगिया, ग्राम किशनपुर, अ.ज.जा.

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (सी) के अधीन

## सदस्य

1. नारायण सिंह कुशवाह, ग्राम लखार
2. श्रीमति रामकलीबाई कुशवाह, पति श्री लखनसिंह कुशवाह, ग्राम आमखेड़ाकालू.

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (डी) के अधीन

## सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, नटेरन
2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठन, नटेरन
3. थाना प्रभारी, नटेरन.

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) के अधीन

## सदस्य

1. प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, शाखा नटेरन.

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (एफ) के अधीन

## सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील, नटेरन.

विदिशा जिले के उपखण्ड, बासौदा

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) के अधीन

## अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बासौदा.

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अधीन

## सदस्य

1. श्री दौलतराम खटीक, निवासी बासौदा
2. श्री मदनलाल अहिरवार, निवासी बासौदा
3. श्री मनोज अहिरवार, नि. वार्ड क्र.-9 बासौदा.

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (सी) के अधीन

## सदस्य

1. श्री कांतिभाई शाह, निवासी बासौदा
2. श्री हेमन्त गंगवानी, निवासी बासौदा.

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (डी) के अधीन

## सदस्य

1. अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस बासौदा
2. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, बासौदा
3. अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) बासौदा.

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) के अधीन

## सदस्य

1. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, शाखा बरेठ, बासौदा

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (एफ) के अधीन

## सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील, बसौदा  
विदिशा जिले के उपखण्ड ग्यारसपुर

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) के अधीन

## अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), ग्यारसपुर

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अधीन

## सदस्य

1. श्री अशोक कुमार, निवासी गुनुआ, ग्यारसपुर
2. श्री संतोष चिद्धार, निवासी गुलाबगंज, ग्यारसपुर
3. श्री विकास तिवारी, नि. अंडियाकलां, ग्यारसपुर.

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (सी) के अधीन

## सदस्य

1. श्री हरीसिंह मोगिया, निवासी मोहम्मदगढ़
2. श्री श्यामलाल अहिरवार, निवासी ग्यारसपुर.

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (डी) के अधीन

## सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, ग्यारसपुर
2. अनुविभागीय अधिकारी, कृषि ग्यारसपुर.

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) के अधीन

## सदस्य

1. प्रबंधक, कॉआपरेटिव बैंक, ग्यारसपुर.

## धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (एफ) के अधीन

## सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील ग्यारसपुर.

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
दमोह, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. 3944-भू-अ.अ.-2010-11-रा. प्र. क्र. 14-अ-82-वर्ष 09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/तालुका नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
दमोह	हटा	रसीलपुर	निजी भूमि 0.20 शासकीय भूमि 2.58 योग . . 2.78	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, जिला दमोह.	रसीलपुर, रसोटा, छेवलादुबे मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस.पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
सागर, दिनांक 15 सितम्बर 2011

क्र. प्र. भू-अर्जन-7785-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण			धारा 4 (2)के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सागर	केसली	खरखरी	ख. नं. 14 कुल रकबा (हे. में.) 2.74	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर (म. प्र.).	टिकारी जलाशय योजना में नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—टिकारी जलाशय योजना में नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. प्र.भू. अ.-2011-8735.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल				
(1)	(2)	(3)	कुल ख. नं.	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	खुरई	निवारी	20	5.53	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	कासिया जलाशय, बांध एवं नहर निर्माण कार्य.	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अ.वि.अ. राजस्व खुरई में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. प्र.भू. अ.-2011-8792.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल				
(1)	(2)	(3)	कुल ख. नं.	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	बिजौरा परासिया	44	35.65	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन. संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	कंजेला जलाशय के निर्माण हेतु.	

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—कंजेला जलाशय के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
रतलाम, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र. 4877-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 13-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	रिंगनोद	3.214	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.	रुपनियाखाल तालाब एवं नहर से प्रभावित अवशेष सर्वे नंबरों की निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
सिंगरौली, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. 1476-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (4)की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	देवसर	कोड़रिया	1.39	उपखण्ड अधिकारी देवसर	करदा पड़री मार्ग के 11/4 में गोपद नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
सतना, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.-10-पत्र क्र. 870-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	इटमा कोठार	1.239	अनुविभागीय अधिकारी, "राजस्व" अनुविभाग अमरपाटन, जिला सतना.	इटमा कोठार तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
बैतूल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 26-अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन-7480.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	देवरी	0.524	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	करपा लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-वर्ष-10-11-भू-अर्जन-7481.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	करपा	1.408	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई	करपा लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

महू, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 3502-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5-“अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1)सह 17 (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)	गवली पलासिया गांगल्याखेडी आशापुरा	16.096 1.773 0.610 योग . . . 18.479	संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि.इंदौर.	राज मण्डलेश्वर राज्य मार्ग निर्माण

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—राज मण्डलेश्वर राज्य मार्ग निर्माण के लिये.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इंदौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.



इंदौर, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. 3360-भू-अर्जन-डॉ. अम्बेडकर नगर-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1)(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)	मानपुर सिहोद खेडी दुर्जनपुरा	1.510 0.465 0.020 <u>1.115</u>	संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इंदौर.	लेबड-मानपुर फोरलेन निर्माण के लिए छूटी हुई भूमि का अर्जन.
		योग . .	<u>3.110</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राघवेंद्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 6-अ-82-2007-08 सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा (4) की उपधारा (2) दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल ख. नं. कुल रकबा (हे. में.)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	हुजूर	करारिया	90/2 0.052 89/2 0.016 96/2 0.057 99/1/2 0.081 117/5/2 0.004 133/1/1 0.064 133/1/2 0.081 75/2/2 0.032 <u>योग . . 0.387</u>	प्रोजेक्ट मेनेजर पी.आई.यू.यू. डबलू. एस.ई.आई. (एडीबी) प्रोजेक्ट म्यूनिसिपल कार्पोरेशन भोपाल.	मलजल प्रवाह परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण

भूमि का नक्शा (प्लान) नजूल गोविन्दपुरा वृत्त के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. 6 अ-82-2011-12 सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल ख. नं. कुल रकबा (हे. में.)		
(1) भोपाल	(2) हुजूर	(3) कोलुआकला	(4) 124/2 125/2	(5) उद्योग आयुक्त उद्योग संचालन, अधोसंरचना विकास कक्ष भोपाल.	(6) औद्योगिक प्रयोजन हेतु.
			योग . .	1.627	

भूमि का नक्शा (प्लान) नजूल अधिकारी, गोविन्दपुरा वृत्त के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. क्यू-भू-अर्जन-1380 (1) 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची (पूरक)

जिला	तहसील/तालुक	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) अशोकनगर	(2) मुंगावली	(3) वरी	(4) 0.103	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर, जिला अशोकनगर (म. प्र.).	(6) कैथन डायवर्सन नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, मुंगावली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पेटलावद, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 3742-भू-अर्जन-2011 संशोधन.—एतद्वारा साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की अधिसूचना क्र. 1692-93-भू-अर्जन-2010, झाबुआ, दिनांक 27 मई 2011 द्वारा ग्राम पनास तालाब के निर्माण के लिये ग्राम काजबी की भूमि कुल रकबा 17.63

हैक्टर अधिग्रहित की गई थी. उसमें आंशिक संशोधन करते हुए रकबा 17.63 हैक्टर के स्थान पर अनुसूची के कालम नम्बर 06 में अंकित रकबा 15.63 हैक्टर पढ़ा जाएँ. शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेगी:—

### अनुसूची

अनु. क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम	पूर्व में प्रकाशित रकबा (हैक्टर में)	संशोधित रकबा (हैक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	झाबुआ	पेटलावद	काजबी	17.63	15.63

झाबुआ, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्र. 3787-भू-अर्जन-2011/माही-राजस्व प्रकरण क्र. 21-ए-82-2010-11- संशोधन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 15 अक्टूबर 2010 को प्रकाशित अधिसूचना तथा हिन्दी समाचार-पत्र स्वदेश में दिनांक 9 अक्टूबर 2010 तथा प्रसारण में दिनांक 10 अक्टूबर 2010 को प्रकाशित अधिसूचना को विलोपित करते हुए संशोधित अधिसूचना निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	टेमरिया	3.16	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना	माही परियोजना की नहरों
		योग	3.16	मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ.	के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयश्री क्रियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्र. 1671-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	उदारी	0.483	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यलयीन अवधि में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्र. 1691-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	खिरवा	16.80	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	बाणसागर परियोजना की डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली परिसम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यलयीन अवधि में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. 1704-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की

उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बगढा	4.80	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उप शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. 1706-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	ग्राम गभुवानी मुडवार जागीर	1.49	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उप शाखा नहर निर्माण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

तेन्दूखेड़ा/दमोह, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्र. -भू.अ.अ.-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	हिनौती ठेंगापटी	0.72 योग . . 0.72	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, सागर (म. प्र.)	बांदकपुर नोहटा मार्ग के कि. मी. 09/2 पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण बावत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेन्दूखेड़ा (दमोह) तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र.-क-वाचक भू-अर्जन-2011-2301-प्रकरण क्रमांक-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती हैं:—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	बुरहानपुर	इच्छापुर	52.33	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.	देव्हारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.
		इच्छापुर	6.16	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.	देव्हारी तालाब योजना के नहर कार्य हेतु.
कुल रकबा . .			58.49		

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

## शुद्धिपत्र

क्र.-7886-भू-अर्जन-2011.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 5182-भू-अर्जन-2011, छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 जून 2011 ग्राम लछुआ, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र, भाग 1, दिनांक 8 जुलाई 2011 में पृष्ठ क्रमांक 2450 पर किया गया है, जिसमें त्रुटिवश पंक्ति क्रमांक 7 पर “भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे” प्रकाशित हुआ है, जिसे संशोधित कर “भूमियों के संबंध में लागू होंगे” निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

अशुद्ध प्रकाशन

“भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे”

(शेष यथावत् रहेगा.)

शुद्ध प्रकाशन जो पढ़ा जावे

“भूमियों के संबंध में लागू होंगे”

## शुद्धिपत्र

क्र.-7887-भू-अर्जन-2011.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 5184-भू-अर्जन-2011, छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 जून 2011 ग्राम धाधरा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र, भाग 1, दिनांक 8 जुलाई 2011 में पृष्ठ क्रमांक 2452 पर किया गया है, जिसमें त्रुटिवश पंक्ति क्रमांक 7 पर “भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे” प्रकाशित हुआ है, जिसे संशोधित कर “भूमियों के संबंध में लागू होंगे” निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

अशुद्ध प्रकाशन

“भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे”

(शेष यथावत् रहेगा.)

शुद्ध प्रकाशन जो पढ़ा जावे

“भूमियों के संबंध में लागू होंगे”

## शुद्धिपत्र

क्र.-7888-भू-अर्जन-2011.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 5183-भू-अर्जन-2011, छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 जून 2011 ग्राम राहीवाड़ा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र, भाग 1, दिनांक 8 जुलाई 2011 में पृष्ठ क्रमांक 2451 पर किया गया है, जिसमें त्रुटिवश पंक्ति क्रमांक 7 पर “भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे” प्रकाशित हुआ है, जिसे संशोधित कर “भूमियों के संबंध में लागू होंगे” निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

## अशुद्ध प्रकाशन

“भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे”

(शेष यथावत रहेगा.)

## शुद्ध प्रकाशन जो पढ़ा जावे

“भूमियों के संबंध में लागू होंगे”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. 15216-भू-अर्जन-2011..—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	टाण्डीखुर्द	2.663	कार्यपालन यंत्री, संसाधन संभाग, राजगढ़.	टाण्डी तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़, भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मधु तेवतिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,	(1)	(2)
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं	334	0.058
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	335	0.097
	336	0.288
	337	0.014
रीवा, दिनांक 24 सितम्बर 2011	339	0.008
	340	0.007
क्र. 1518-भू-अर्जन.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान	352	0.122
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि	358	0.136
की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन	359	0.036
के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	360	0.129
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह	361	0.050
घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन	369	0.014
हेतु आवश्यकता है:—	381	0.216
अनुसूची		योग . . 3.333

### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—लभौली (585)

(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.403 हेक्टर.

### मध्यप्रदेश शासन

331 0.070

महायोग . . 3.403

रीवा, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
189	0.187
190	0.158
191	0.158
192	0.118
193	0.108
194	0.108
195	0.202
209	0.162
210	0.084
211	0.100
292	0.036
293	0.050
294	0.061
295	0.068
296	0.288
297	0.019
298	0.020
299	0.082
330	0.070
333	0.079

क्र. 1675-प्रका.-भू-अर्जन.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—साड़ा (शिवराजपुर)

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.11 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

#### (अ) निजी भूमि का विवरण

485/2	0.07
1762	0.04
योग (अ)	. . 0.11



(1) (2)  
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक	निरंक
योग (ब)	—
महायोग (अ+ब)	0.11

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा=0.11 हे.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा=निरंक

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा=0.11 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. 1693-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन  
(ग) ग्राम—भरतपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.030 हेक्टर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
281/2	0.030	0.030
योग	0.030	0.030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1695-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन  
(ग) ग्राम—कपुरी पवाई  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.435 हेक्टर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
376	0.440	0.064
422	0.320	0.089
423	0.030	0.005
425/1	0.470	0.107
426	0.040	0.016
670/1	0.800	0.154
योग	2.100	0.435

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1697-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए

आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन  
(ग) ग्राम—कपुरी कोठार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.119 हेक्टर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
382	0.530	0.038
390	0.400	0.010
337/1	0.540	0.071
योग . .	1.370	0.119

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. 3631-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र.अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित मकानों की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा

यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकानों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) मकानों का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—पेटलावद

मकानों की संख्या	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)
<b>ग्राम—धोलीखाली</b>		
1	58	33.54
<b>ग्राम—सुखनेड़ा</b>		
1	341	66.60
<b>ग्राम—केशरपुरा</b>		
2	68	228.82
<b>ग्राम—बोरघाटा</b>		
2	6	109.44
<b>ग्राम—भेरूपाड़ा</b>		
1	138	68.29
योग . .	7	506.69

झाबुआ, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 3740-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र.अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक किये गये प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—पेटलावद  
(ग) ग्राम—धतुरिया

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1172	0.15	धोलीखाली तालाब
1173	0.10	निर्माण हेतु.
योग . .	0.25	

(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—घोलीखाली तालाब निर्माण होने से ग्राम धतुरिया का कुल रकबा निजी भूमि 0.25 हेक्टर.	21	279	0.25	0.20	
	22	280/1	0.08	0.07	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.	23	282/2	0.08	0.07	
	24	280/3	0.08	0.06	
	25	280/7	0.08	0.08	
	26	280/8	0.06	0.06	
	27	282	0.06	विलोपित	
	28	283	0.05	विलोपित	
झाबुआ, दिनांक 14 अक्टूबर 2011	29	284	0.11	विलोपित	
संशोधित उद्घोषणा	30	285	0.27	विलोपित	
	31	286	0.15	विलोपित	
	क्र. 3785-भू-अर्जन-2011-माही-रा.प्र.क्र. 25अ-82-2010-11.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1403-भू-अर्जन-2010-झाबुआ, दिनांक 9 मई 2011 द्वारा ग्राम करड़ावद तहसील पेटलावद जिला झाबुआ का रकबा 10.29 हे. के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक पृष्ठ क्रमांक 1844, दिनांक 27 मई 2011 पर तथा हिन्दी समाचार-पत्रों पत्रिका में दिनांक 26 मई 2011 तथा प्रसारण में दिनांक 26 मई 2011 में प्रकाशन जी-नम्बर 13535/2011 द्वारा प्रकाशित की गई है. प्रकाशित प्रविष्टियों को संशोधित कर निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—	32	288	0.12	विलोपित
	33	309	0.18	0.10	
	34	312/1	0.34	0.30	
	35	1018	0.14	विलोपित	
	36	1021	0.27	विलोपित	
	37	1022	0.07	विलोपित	
	38	1341/2	0.10	विलोपित	
	39	1342	0.07	विलोपित	
	40	1343	0.17	विलोपित	
	41	1368	0.16	0.11	
	42	1369	0.03	0.05	
	43	1660	0.10	0.03	
	अनुसूची	44	1666	0.07	विलोपित
		45	1668	0.18	विलोपित
	स. क्र.	सर्वे क्र.	रकबा (हेक्टर में)		
			पूर्व प्रकाशित	संशोधित प्रकाशन	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1	116	0.37	विलोपित	46
2	117	0.12	विलोपित	47	
3	119	0.01	विलोपित	48	
4	240/1	0.05	विलोपित	49	
5	240/2/1	0.05	विलोपित	50	
6	240/2/2	0.05	विलोपित	51	
7	240/3	0.12	विलोपित	52	
8	240/4	0.06	विलोपित	53	
9	240/6	0.05	विलोपित	54	
10	241/1	0.05	0.07	55	
11	241/2/1	0.05	0.10	56	
12	241/2/2	0.05	0.10	57	
13	241/4	0.05	0.05	58	
14	241/5	0.05	0.06	59	
15	241/6	0.10	0.08	60	
16	241/7	0.05	0.05	61	
17	244	0.05	0.10	62	
18	245	0.27	0.08	63	
19	247	0.03	0.10	64	
20	264	0.05	0.10	65	
				66	
				67	
				68	

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
69	2071	0.16	विलोपित	114	112	-	0.08
70	2072/1	0.05	विलोपित	115	135/1	-	0.08
71	2072/2	0.05	विलोपित	116	135/2	-	0.04
72	2132	0.12	विलोपित	117	136	-	0.20
73	2133	0.12	विलोपित	118	137	-	0.30
74	2135	0.05	विलोपित	119	241/3	-	0.16
75	2136	0.05	विलोपित	120	243	-	0.10
76	2143	0.17	विलोपित	121	248	-	0.08
77	2148	0.37	0.10	122	249	-	0.13
78	2285	0.05	0.13	123	250/1	-	0.07
79	2286	0.05	0.05	124	252/2	-	0.07
80	2883	0.08	0.05	125	250/3	-	0.06
81	2884	0.10	0.10	126	259	-	0.06
82	2885	0.10	0.10	127	260	-	0.06
83	2886	0.14	विलोपित	128	311 पै.	-	0.20
84	2887	0.20	0.34	129	1635 पै.	-	0.04
85	2888	0.25	विलोपित	130	1636/1	-	0.15
86	2906/1	0.05	विलोपित	131	1636/2	-	0.15
87	2906/2	0.05	विलोपित	132	1637/1	-	0.03
88	2906/3	0.05	विलोपित	133	1637/2	-	0.08
89	2906/4	0.05	विलोपित	134	1659	-	0.02
90	2907	0.14	0.05	135	1662/1	-	0.06
91	3362	0.15	विलोपित	136	1662/3	-	0.06
92	61	-	0.07	137	1663	-	0.08
93	62	-	0.04	138	1664	-	0.15
94	63	-	0.06	139	1665	-	0.07
95	64/4	-	0.03	140	1735	-	0.08
96	91/8	-	0.04	141	1737	-	0.07
97	92	-	0.05	142	1738	-	0.14
98	93/1	-	0.10	143	1739	-	0.08
99	93/2/1	-	0.01	144	1740	-	0.05
100	94/1	-	0.03	145	1741	-	0.05
101	95/1	-	0.02	146	1742	-	0.21
102	95/2	-	0.02	147	1743	-	0.03
103	95/3	-	0.02	148	2129	-	0.03
104	95/4	-	0.02	149	2149	-	0.15
105	96/1	-	0.06	150	2150/1	-	0.10
106	96/2	-	0.07	151	2150/2	-	0.03
107	96/3	-	0.01	152	2151/1	-	0.10
108	97	-	0.07	153	2154/2	-	0.02
109	103	-	0.70	154	2217	-	0.03
110	106	-	0.10	155	2218	-	0.09
111	107	-	0.29	156	2219	-	0.05
112	108	-	0.13	157	2220	-	0.15
113	109	-	0.01				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)
158	2284	-	0.05	152/1	0.089
159	2287/1	-	0.04	152/2	0.081
160	2287/2	-	0.03	152/3क	0.101
161	2287/3	-	0.03	152/3ख	0.097
162	2287/4	-	0.03	176/2	0.020
163	2287/5	-	0.03	179/1	0.081
164	2288/2	-	0.07	179/2	0.032
165	2291	-	0.07	180, 181	0.081
166	2292	-	0.10	182	0.081
167	2293	-	0.10	183	0.089
168	2299/3	-	0.20	184	0.089
169	2817	-	0.05	184	0.089
170	2819	-	0.05	197	0.114
171	2871	-	0.16	210	0.146
172	3362/1	-	0.08	216	0.028
173	3362/2	-	0.07	216	0.028
योग . .			10.29	217	0.041
			10.20	218	0.077

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयश्री क्रियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 1-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर  
(ख) तहसील—जावर  
(ग) नगर/ग्राम—सिद्धीकगंज  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.238 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
149/2	0.032

योग . . 2.238

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रामपुराखुर्द तालाब की बाँई नहर की उप नहर क्रमांक 01 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आषा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर  
(ख) तहसील—आष्टा  
(ग) नगर/ग्राम—आमखेड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.850 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	1.215
2/2	0.142
2/3	0.036
2/10	1.801
2/11	2.748
2/12	0.182
2/13	0.081
2/14	0.130
2/15	0.040
2/16	0.032
2/7, 3/3/4, 7/5/1/1	0.211
2/7, 3/3/3/4, 7/5/1/2	0.113
57/2, 58/2, 59/2	1.230
57/2, 58/2, 59/3	1.919
57/2, 58/2, 59/4	1.930
57/2, 58/2, 59/5	0.040
योग . . .	<u>11.850</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर  
(ख) तहसील—आष्टा  
(ग) नगर/ग्राम—मनीरामपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.436 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
40, 41	0.081
42/1	0.134
45	0.554
54	0.020
55	0.765
56/3	0.121
57	0.506
58	0.170
67	0.028
68	0.073
69	0.364
70	0.587
72	0.583
74, 92/74	1.489
75	0.939
76, 93/76	1.036
77	0.911
78, 79/1	1.627
78, 79/2	0.809
80/1/2	0.777
80/2, 89/80/1	0.931
80/2, 89/80/2	0.931
योग . . .	<u>13.436</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर  
(ख) तहसील—आष्टा  
(ग) नगर/ग्राम—नोमनियाँ  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.267 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	1.267
योग . . .	<u>1.267</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर  
(ख) तहसील—आष्टा  
(ग) नगर/ग्राम—जस्सुपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.113 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
104	0.178
105	0.991
106	3.088
107, 108, 167/108/2	3.181
167/108/1	2.331
172/107	0.344
योग . . .	<u>10.113</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**संजय गोयल**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र. भू-अर्जन-2011-327-बी.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर  
(ख) तहसील—शुजालपुर  
(ग) ग्राम—मोरटाकेवडी, फाजलपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—ग्राम अलीसीरिया रकबा 2.803 हे.,  
ग्राम निपानियाखुर्द रकबा 3.909 हे.,  
ग्राम बदलपुर रकबा 2.322 हे.,  
ग्राम पोचानेर रकबा 9.203 हे.,

ग्राम रोलाखेड़ी रकबा 1.289 हे., ग्राम अनियाकलाँ रकबा 1.895 हे., कुल रकबा 21.421 हे.	(1)	(2)
खसरा नं.	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है—ग्राम अलीसीरिया		
341/1	0.105	453/1
342	0.100	442/2, 445/1, 453/1/2
343	0.120	445/3, 449, 450, 451,
345	0.105	452/1, 453/1.
354	0.125	513/1
355	0.052	414/2
356	0.031	531
361	0.136	419/1
362	0.010	419/2
363	0.250	421, 422/1
365/1	0.063	कुल योग . . . 3.909
365/2	0.136	भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है—ग्राम बदलपुर
370/1	0.042	3/4
374	0.157	4/4, 5/3/4/5
429/1, 430/1, 422/1	0.292	5/1
439/1	0.052	5/2
440/1	0.471	6/6
443	0.011	8/2/4
444/1	0.545	13
कुल योग . . . 2.803		14/1
		19/2, 21, 22, 23/2,
		23/3, 24/1, 25, 26.
		28
		175
		177/1
		कुल योग . . . 3.909
भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है—ग्राम निपानियाखुर्द		
528/4	0.157	भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है—ग्राम अनियाकलाँ
462	0.052	1890/1 मि.
517	0.282	2743/9/1
514/3, 515, 516	0.199	2766/2, 2767, 2743/3
529/1	0.293	2743/2/5
501	0.105	2743/2/4
530/4	0.084	2743/2/3
487/2	0.314	2743/2/2
464	0.052	2743/2/1
463	0.209	2797/8
458/11	0.314	2812/3
456/2	0.157	2812/2
432/2/1	0.199	2814/2



(1)	(2)	(1)	(2)
2817/7/1	0.091	449/1	0.084
2818/1	0.092	216/2	0.512
2819/2/1	0.310	238	0.021
1890/1 मि.	0.088	232/2	0.115
कुल योग . .	<u>1.895</u>	237	0.157
		241	0.178
भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है—ग्राम पोचानेर		582	0.010
51	0.105	606/1	0.031
219	0.282	607/1	0.084
187/1	0.219	240/1	0.010
1154	0.105	244	0.052
743, 744	0.240	782/1/2/2	0.209
172, 173	0.408	246	0.063
174	0.021	247	0.105
187/2, 188	0.261	650/2, 651/1	0.031
186/1	0.094	1145, 1146	0.094
186/2	0.042	252	0.031
177, 178, 179	0.021	253	0.042
222	0.105	563/2	0.010
181/2	0.220	254/2, 259/1/2	0.010
236/2	0.084	247	0.105
1090	0.100	561/1	0.021
699/6	0.073	667, 668	0.031
701	0.042	536	0.010
730, 731	0.010	560	0.021
734	0.084	599/1/2	0.021
783	0.063	600/2	0.042
735	0.136	565	0.021
736	0.136	567/2	0.021
737	0.021	564	0.010
1090/2	0.137	602	0.052
775/1, 776/1, 777/1	0.146	699/1	0.042
781/2	0.105	699/5	0.073
1156/2	0.063	1150, 1158, 1159	0.136
1157, 1155, 1156/1	0.043	1148	0.010
171	0.010	1149	0.063
182	0.167	1161/1	0.167
183/3	0.052	1143/1	0.094
190	0.010	1127	0.063
232/1	0.084	1130/3	0.115
581	0.010	1128	0.125
		1136	0.073

(1)	(2)	(1)	(2)
1137	0.115	437/2, 438/1	0.052
1131/1	0.010	385	0.021
1161/2, 1167/1	0.073	441	0.094
1180	0.115	387/1	0.063
1181	0.042	437/1	0.052
1182	0.052	439/2, 440/1, 453, 454	0.200
1088/5, 1085	0.021	487/3, 487/5	0.021
1078/3	0.063	487/1 487/2	0.021
1079	0.167	488/1	0.200
1161/2, 1167/1	0.084	488/2	0.198
1161/2, 1167/1	0.084	589/4	0.010
1161/2, 1161/4, 1167/1	0.084	कुल योग	1.289
1129	0.031		
1115/3	0.115	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अरनियाकलाँ से कोठडीकलाँ मार्ग हेतु भूमि का भू-अर्जन.	
1116/2	0.219		
1096/1	0.084		
989/2	0.021	(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
990/2/1	0.021		
990/2/2	0.032		
990/2/3	0.032		
991	0.188	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
1044/1/1	0.084		
1044/2	0.031		
1044/3	0.094		
1044/4	0.073		
1044/5/1	0.073		
1044/5/2	0.005		
1084/2, 1087, 1088/2	0.121		
1086, 1088/1, 1088/3	0.121		
1084/1	0.084		
कुल योग	9.203		
भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है—ग्राम रोलाखेड़ी			
383/4	0.022		
387/2	0.084		
388	0.063		
384	0.042		
440/2	0.063		
462	0.031		
485/1	0.031		
486/1, 486/2	0.021		
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—रीवा			
(ख) तहसील—सेमरिया			
(ग) ग्राम—कटाई			

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्र. 857-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

(घ) लगभग क्षेत्रफल— 0.430 हेक्टेयर.		(1)	(2)
खसरा नं.	रकबा	123	0.210
	(हेक्टेयर में)	124	0.300
(1)	(2)	126	0.060
18	0.330	127	0.180
45	0.100	128	0.080
योग	0.430	110/160	0.110
		योग	4.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 862-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) ग्राम—डाढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.130 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)
54	0.500
94	0.070
95	0.050
105	0.800
106	0.900
108	0.150
109	0.210
119	0.320
120	0.130
121	0.060

क्र. 863-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) ग्राम—लखनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.260 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)
79/1	0.180
79/3	0.040
80/1	0.020
82	0.100
84	0.700
86	0.300
87	0.600
91/1	0.250
91/2	0.330
92	0.250

(1)	(2)
109	1.060
111	0.700
112	0.230
113	0.500
	<u>योग . . 5.260</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 863-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सेमरिया  
(ग) ग्राम—धीरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.670 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.670
	<u>योग . . 0.670</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 864-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सेमरिया  
(ग) ग्राम—सेमरिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.448 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
303	0.050
323	0.250
518	0.020
519	0.330
521/2	0.360
522	0.360
523	0.090
524/1	0.134
524/2	0.064
525	0.030
526	0.180
527	0.640
529	0.260
530	0.430
532	0.100
533	0.080
535	0.070
	<u>योग . . 3.448</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

पत्र क्र. क-भू-अर्जन-तेंदूखेड़ा-2011-327.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

1037/3	0.25
1036	0.63
1033/1	0.17
1033/2	0.18
1056	0.15
1040/2	0.15
1053	0.20
173/2	0.24
175/4	0.37
184	0.54

योग . . 3.47

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—जबेरा

(ग) ग्राम—घाना मैली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.47 हे.

खसरा नं. रकबा (हेक्टेयर में)

(1)	(2)
1037/2	0.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घाना मैली जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 28-अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गठेवरा

(ग) नगर/ग्राम—गठेवरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निरंक.

केवल परिसंपत्तियां, रकबा पूर्व में अर्जित किया जा चुका है

ग्राम	परिसंपत्ति स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	परिसंपत्ति का खसरा नं.	अर्जित परिसंपत्तियां (वर्ग मी. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
गठेवरा	नत्थू सिंह तनय सुम्मेर सिंह	1208	कुंआ
— " —	बबीता पत्नि ओमप्रकाश अग्रवाल, कुसुम पत्नि किशन चन्द्र अग्रवाल, सा. छतरपुर.	1456	ट्यूबवेल, पक्का पम्प हाऊस 6.05 वर्ग मी., एक महुआ वृक्ष

केवल परिसंपत्तियां  
रकबा पूर्व में अर्जित  
किया जा चुका है.

(1)	(2)	(3)	(4)
गठेवरा	अभिलाषा पत्नि सुधीर कुमार चेलावत	1269	ट्यूबवेल, 2 पक्का पम्प हाऊस 15.27 वर्ग मी.
— " —	शासकीय स्कूल शिक्षा विभाग	1210	पक्का स्कूल (शासकीय), मय किचिन, टायलेट, बाउंड्रीवाल के. हैण्डपम्प चालू हालत में
— " —	सुपर्णा पत्नि अजय कुमार गुप्ता	1228/3/2	पक्का कुंआ.

केवल परिसंपत्तियां  
रकबा पूर्व में अर्जित  
किया जा चुका है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राहुल जैन कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

301/ग/1

1.315

0.632

कुल योग : 2.320

ग्वालियर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 20-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—चीनौर  
(ग) ग्राम—भारस  
(घ) कुल क्षेत्रफल—2.320 है.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)

99/8क/2	1.035	0.206
99/8ख/2	1.348	0.560
99/8ग/2	0.376	0.114
301/ख/2	1.315	0.808

(2), सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—चीनौर  
(ग) ग्राम—बड़ेरा भारस  
(घ) कुल क्षेत्रफल—13.98 है.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)

1/2/2	8.361	2.612
-------	-------	-------



कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(1) (2)

106 0.12

योग . . 2.13

सागर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. 8736-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—केसली  
(ग) ग्राम—पिपरिया, प. ह. नं. 24  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.13 हेक्टर.

खसरा नं. में से	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
62/3	0.12
63/1	0.06
55/1	0.09
55/2	0.09
54	0.18
67/2	0.04
67/3	0.06
67/4	0.14
70	0.02
72/1	0.07
72/2	0.06
108	0.07
109	0.06
110	0.18
129/1	0.03
128	0.11
127/1	0.07
127/2	0.07
125/2	0.03
131/1	0.23
131/2	0.23

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—चकरा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्र, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. 8752-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—केसली  
(ग) ग्राम—पुतरा, प. ह. नं. 24,  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.19 हेक्टेयर.

खसरा नं. में से	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/2	0.70
1/4	0.30
63/1	0.21
63/2	0.20
64	0.36
65	0.68
66/1	0.07
66/2	0.08
67	0.39
68/1	0.24
68/2	0.24
70/1	0.16
75/1	0.01
76	0.07



(1)	(2)
78/1	0.06
78/2	0.06
90/1	0.10
93	0.07
94	0.12
95	0.09
97	0.12
98	0.06
99/1	0.02
99/2	0.03
100	0.08
101	0.22
103/1	0.02
103/2	0.07
105/2	0.08
106	0.10
107/1	0.05
107/2	0.05
111	0.08

योग . . . 5.19

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—चकरा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),  
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. 15218-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (धामन्या तालाब निर्माण नहर कार्य) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—खिलचीपुर  
(ग) ग्राम—ढाबलीकलों  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.345 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

691/21/2

0.105

691/38

0.240

योग . . . 0.345

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—धामन्या तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु. ग्राम ढाबलीकलों की भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 15220-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (चौदतलाई तालाब निर्माण नहर कार्य) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—खिलचीपुर  
(ग) ग्राम—पानखेड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.640 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा  
(हे. में)

(1)

(2)

157/48

0.055

157/49

0.054

157/50

0.054

157/51

0.048

157/52

0.061

(1)	(2)	(1)	(2)
157/53	0.134	292/16	0.241
157/54	0.060	292/45	2.023
157/55	0.060	292/60	0.065
157/56	0.060	292/46	1.050
157/57	0.054	292/61	0.253
योग	0.640	292/62	0.059

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—चौदतलाई तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु. ग्राम पानखेड़ी की भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

292/63	1.250
292/64	1.251
292/65	0.750
292/66	0.810
292/67	0.506
योग	11.514
महायोग	12.639

क्र. 15222-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (कटारमलजी तालाब निर्माण शीर्ष कार्य) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कटारमलजी तालाब के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु. ग्राम पानखेड़ी एवं मेहराजपुरा की भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—खिलचीपुर  
(ग) ग्राम—पानखेड़ी, मेहराजपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.639 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

ग्राम पानखेड़ी, क्षेत्रफल 1.125 हेक्टेयर

24/15	0.250
24/23	0.875
योग	1.125

ग्राम मेहराजपुरा, क्षेत्रफल 11.514 हेक्टेयर

286/1	0.700
292/36	0.340
292/37	0.531
286/2	0.700
286/3	0.700
292/14	0.285

क्र. 15224-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बोरदाखुर्द तालाब निर्माण नहर कार्य) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—खिलचीपुर  
(ग) ग्राम—गोरधनपुरा, बोरदाखुर्द एवं गादियाचारण  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.021 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

ग्राम गोरधनपुरा, क्षेत्रफल 0.435 हेक्टेयर

63/17/1/1	0.105
106/63	0.024
69/63/1	0.034
69/63/1	0.068

(1)	(2)
103/63	0.024
23/1	0.060
23/2	0.120
योग . .	<u>0.435</u>

ग्राम बोरदाखुर्द, क्षेत्रफल 0.412 हेक्टेयर

4	0.075
123/11	0.105
736/11	0.012
126/11/1	0.120
126/11/2	0.040
131/11	0.060
योग . .	<u>0.412</u>

ग्राम गादियाचारण, क्षेत्रफल 0.174 हेक्टेयर

283/55	0.174
योग . .	<u>0.174</u>
महायोग . .	<u>1.021</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बोरदाखुर्द तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु. ग्राम गोरधनपुरा, बोरदाखुर्द एवं गादियाचारण की भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 15226-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (पानखेड़ी तालाब निर्माण नहर कार्य) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—खिलचीपुर  
(ग) ग्राम—गुमानीपुरा, बोरखेड़ी, पानखेड़ी एवं मन्नीपुरा  
(घ) क्षेत्रफल—2.887 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

ग्राम गुमानीपुरा, क्षेत्रफल 0.813 हेक्टेयर

23/18	0.380
-------	-------

(1)	(2)
23/85	0.065
23/1	0.368
योग . .	<u>0.813</u>

ग्राम बोरखेड़ी, क्षेत्रफल 0.365 हेक्टेयर

111/4	0.145
129/4	0.135
129/2	0.024
129/3	0.061
योग . .	<u>0.365</u>

ग्राम पानखेड़ी, क्षेत्रफल 0.931 हेक्टेयर

269/2	0.120
271	0.168
274	0.024
275	0.101
276/7/1	0.024
276/44/1	0.121
276/21/2/2	0.176
276/21/3	0.128
276/44/2	0.089
योग . .	<u>0.931</u>

ग्राम मन्नीपुरा, क्षेत्रफल 0.778 हेक्टेयर

227/1/2	0.184
227/1/3	0.065
227/1/4	0.036
227/7/1	0.048
227/11/3	0.020
227/7/2	0.048
227/11/5	0.020
227/7/3	0.048
227/11/5	0.020
227/7/4	0.048
227/11/6	0.020
227/7	0.048
227/11/2	0.048
227/10/1	0.125
योग . .	<u>0.778</u>
महायोग . .	<u>2.887</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पानखेड़ी तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु, ग्राम गुमानीपुरा, बोरखेड़ी, पानखेड़ी एवं मन्नीपुरा की भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	(1)	(2)
	12	0.837
	14	0.162
	15/1	0.823
	15/2	0.400
	15/3	0.400
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मधु तेवतिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	15/4	0.400
	16	0.377
	18	0.275
	19	0.255
	20	0.073
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	21, 22	0.283
	23	0.061
नरसिंहपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011	24	0.384
	25/1	0.162
प्रक. क्र. 16-अ-82-वर्ष 2010-2011-पत्र क्र. 13601-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्र. 454-रा.शा.-एक-2-2011, जबलपुर दिनांक . . . . . से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-	25/2	0.142
	26	0.251
	27	0.057
	28/1	0.202
	28/2	0.04
	42	0.308
	43	0.528
	44	0.242
	150/1	0.101
	151	1.939
	167/3ख, 168, 169/2	0.12
	167/2	0.081
(1) भूमि का वर्णन—	171	0.486
(क) जिला—नरसिंहपुर	172	1.592
(ख) तहसील—गाडरवार	173	0.081
(ग) ग्राम—डोंगरगांव	175	0.914
(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.275 हेक्टेयर.	177, 178, 179	0.967
खसरा नं. •	180, 181/1, 181/2,	5.930
	182, 184, 185, 186/1,	
	187/1, 188, 189/1	
(1)	(2)	
1	0.579	181/3, 186/2, 187/2
2	0.393	183
3	0.514	189/2
5	0.921	190
6/2, 13	2.156	191/2
7/1	0.389	191/4
7/2	0.077	192/1
8	1.267	192/2
9	1.408	193
10	0.202	194/2, 195/2
		योग . . .
		<u>30.275</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, नरसिंहपुर में किया जा सकता है.

(1)	(2)
153/3, 154/3	0.243
153/4, 154/4	0.563
153/9, 154/11	0.283
153/6, 154/7	0.340
153/5, 154/6	0.809
153/8, 154/9	1.136
153/7, 154/10	0.324
154/5	0.648
योग . . .	<u>12.497</u>

प्रक. क्र. 17-अ-82-वर्ष 2010-2011-पत्र क्र. 13601-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्र. 454-रा.शा.-एक-2-2011, जबलपुर दिनांक . . . . . से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—गाडरवारा  
(ग) ग्राम—कुडारी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.497 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/2	0.347
16/3	0.097
16/4	0.405
16/5	0.162
16/8	1.214
16/9	1.012
16/10	0.567
16/11	0.242
17	0.801
19	0.517
21	0.206
24	0.081
148	0.040
150	0.882
152	0.809
153/1, 154/1	0.405
153/2, 154/2	0.364

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, नरसिंहपुर में किया जा सकता है.

प्रक. क्र. 18-अ-82-वर्ष 2010-2011-पत्र क्र. 13601-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्र. 454-रा.शा.-एक-2-2011, जबलपुर दिनांक . . . . . से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—गाडरवारा  
(ग) ग्राम—गांगई  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—66.845 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12/1	1.331
12/2	0.085
13/2	0.509
13/3	0.581
164/1	0.878
164/2	1.186
164/3	1.186

(1)	(2)	(1)	(2)
164/4	1.181	194/2	0.851
167	0.886	230, 234/1	0.991
169	0.930	235/1 235/2	0.214
170	1.113	236	0.048
171/2	0.811	238/1	1.841
171/3	0.909	238/2, 245/2	3.757
171/4	0.809	238/3, 245/1	0.938
171/5	0.809	238/4, 245/3	0.405
171/6	0.812	239	1.202
171/7	0.809	240	1.214
171/8, 187/3	0.809	241/1, 241/2	0.316
171/9	0.809	242/1	0.357
172/1	0.687	242/2	0.692
172/2, 172/4	0.599	242/3	0.809
172/3, 172/5	0.691	242/4	0.405
173	1.295	243/1	0.061
179/1	0.633	243/2	0.020
179/2	0.777	243/6	0.303
180, 181	0.226	244/1	0.766
183/1	0.567	244/2	0.525
183/2	1.694	246	0.688
184/1	1.084	247/1	0.370
184/2	1.894	247/2	1.265
184/3	0.405	249/1	0.782
184/4	0.142	249/2	2.828
185/1	0.311	250/1	0.809
185/2	0.316	250/2	0.849
186/1	0.364	250/3, 251	1.416
186/2	0.365	253/1	3.642
187/2	1.214	253/2	1.437
187/4	0.809	योग	<u>66.845</u>
187/5	0.809		
187/6	1.214	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—2640	
187/7	0.809	मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.	
187/8	0.809	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, नरसिंहपुर	
188/1	0.356	में किया जा सकता है.	
188/2	0.178		
190	1.627	प्रक. क्र. 19-अ-82-वर्ष 2010-2011-पत्र क्र. 13601-भू-	
192/1	0.076	अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया	
192/2, 193/2	0.201	है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची	
193/1	0.329	के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता	
194/1	0.120	है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की	

धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्र. 454-रा.शा.-एक-2-2011, जबलपुर दिनांक . . . . . से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—चोरबरेहटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—205.873 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
48/3	0.405	157/2	0.809
140/3	0.222	158, 159	3.348
140/4	0.264	160, 161	2.379
141/1	0.432	163/2, 164	0.21
141/2. 141/3	1.133	165/1	0.112
141/4	0.478	165/2	0.222
141/5	0.421	165/3	0.111
141/6	0.340	166/1	1.578
142	1.538	166/2	0.162
143/1	1.454	166/3	0.405
143/2, 143/3,	0.766	166/4	0.405
144/1, 144/2		166/5, 166/6	2.185
143/4, 143/5,	0.384	168/1	0.808
144/3, 144/4		168/2	0.807
143/6, 144/5	0.344	170/1	0.435
143/7, 144/6	0.344	170/2	0.721
143/8, 143/9,	0.383	170/3	0.721
144/7, 144/8		170/4	0.792
145/1	0.809	171/1, 171/2	1.173
156/1	0.362	171/3	1.166
156/2	0.725	172/1, 172/2	1.906
156/3	0.725	173/1, 173/2	1.656
156/4	0.742	174/1	0.840
156/5	1.113	174/2	0.840
156/6	0.371	175/1	0.500
157/1	0.502	175/2	0.500
		177/1	0.567
		177/2	0.566
		178/2	0.202
		179/2	0.105
		183/3, 184/3, 185/3	1.700
		186	0.486
		191/2	0.405
		193	0.101
		194	0.081
		195	1.335
		196/1, 197/1	2.444
		196/2, 197/2	2.444
		197/3	0.147
		198/1, 200/1	0.877
		198/2, 200/2क	0.877

(1)	(2)	(1)	(2)
198/3, 200/3	0.439	232, 233	0.502
198/4, 200/4	0.877	234/1	0.907
198/5, 200/5	0.877	234/2	0.809
199	1.603	235	0.894
201/1	0.015	237/1, 238/1, 239/1	1.411
201/2, 202/1	0.775	237/2, 238/2, 239/2	1.410
202/2, 203	0.452	240/1, 240/2	1.579
204	0.324	241	0.190
206	1.789	242/1	0.105
207/1	0.866	242/2	1.012
207/2	0.870	242/3	1.012
208/1	0.614	242/4	1.012
208/2	0.405	242/5	1.012
208/3	0.632	242/6	1.012
208/4	0.219	242/7	1.012
209/1	0.586	242/8	1.012
209/2	0.587	242/9	1.012
210/1, 210/2	1.012	242/10	1.012
210/3, 210/4	0.976	242/11	1.012
211/1, 215	1.099	242/12	1.012
211/2	1.099	242/13	1.012
212, 213	1.744	242/14	0.809
214	1.015	242/15	1.012
216	0.283	242/16	1.012
217, 218, 219/2	1.292	242/17	1.012
219/1	1.268	242/18	1.012
219/3, 220	1.342	243/1, 244/1	0.614
221/1	1.356	243/2, 244/2	1.012
221/2	0.656	243/3, 244/3	1.012
222/1	0.457	243/4, 244/4	1.011
222/2	0.457	243/5, 244/5	1.012
223	2.324	243/6, 244/6	1.012
224/1, 225/1	1.214	243/7, 244/7	1.011
224/2, 225/2	3.901	245/1	0.809
226/1	1.285	245/2	1.012
226/2, 228/2	2.906	245/3	1.012
226/3	1.355	245/4	1.012
227, 228/1	0.286	245/5	1.012
229/1	0.336	245/6	1.012
229/2	0.336	245/7	0.809
230	0.539	245/8	0.809
		245/9	0.809



(1)	(2)	(1)	(2)
245/10	0.809	281/1, 281/2	0.202
245/11	0.607	283/1	0.061
248	0.267	283/2	2.391
251	0.304	284/1, 285/1, 286/1,	0.945
253/1	1.667	303/1, 304/1, 305/1	
253/2	1.173	284/2, 285/2, 286/2	0.798
254	0.668	303/2, 304/2, 305/2	
255/1	0.732	284/3, 285/3, 286/3,	0.485
255/2	1.012	301/3, 304/3, 305/3	
255/3	1.074	284/4, 285/4, 286/4,	0.485
255/4	0.468	301/4, 304/4, 305/4	
255/5	0.607	284/5, 285/5, 286/5	0.809
255/6	0.405	301/5, 304/5, 305/5	
256	2.120	284/6, 285/6, 286/6,	0.810
257/1	0.508	303/6, 304/6, 305/6	
257/2	0.507	284/7, 285/7, 286/7	0.485
258	0.462	303/7, 304/7, 305/7	
259/1	1.012	284/8, 285/8, 286/8,	0.202
259/2	1.012	303/8, 304/8, 305/8	
260/1, 262/1	0.341	284/9, 285/9, 286/9,	0.282
260/2, 262/2	0.683	303/9, 304/9, 305/9	
260/3, 262/3	0.683	284/10, 285/10,	
260/4, 262/4	0.341	286/10, 303/10,	0.080
261	0.405	304/10, 305/10	
263/1, 263/3	0.478	284/11, 285/11,	
263/2	0.445	286/11, 303/11,	0.485
264/1, 264/2, 264/3	1.501	304/11, 305/11	
265	0.340	284/12, 285/12,	
266	0.243	286/12, 303/12,	0.945
267, 269	0.381.	304/12, 305/12	
268/1, 268/2	2.650	287	0.445
268/3, 268/4	0.810	288	0.413
268/5	0.405	289	0.348
268/6	0.662	290	1.246
270	0.316	291/1	0.765
271/1, 278/1	3.108	291/3	0.809
272	2.464	292/1क	0.405
273, 277	2.655	292/1ख	0.478
274	0.938	292/2	0.462
275/1	1.546	292/3	0.466
275/2	1.545	292/4	0.206
276/1, 278/2	0.947	292/5क	0.837
276/2	1.789	292/5ख	0.017
278/3, 279,	1.885	292/5ग, 292/11ख,	1.553
276/3, 278/4		292/13	

(1)	(2)	(ग) ग्राम—उमरिया	
292/6	0.138	(घ) लगभग क्षेत्रफल—118.443 हेक्टेयर.	
292/7	0.190		
292/8	0.186	खसरा नं.	अर्जित रकबा
292/9, 292/10	0.846		(हेक्टेयर में)
292/11क	0.223	(1)	(2)
292/12	0.845	29/2	1.862
293/1	0.566	29/3	0.162
293/2	0.061	29/6	2.428
294	0.182	30	0.262
295/2	0.202	65/1	3.669
295/1, 295/3	0.203	65/2	2.454
296/1, 297/2, 298	1.926	65/3	2.455
296/2	0.202	65/4	0.809
297/1	0.640	65/5	1.214
300/1क	0.606	66/1	1.153
300/1ख	1.012	66/2	1.882
300/2	0.374	66/8	0.607
300/3क, 300/3ख	1.448	66/9	0.405
300/4क, 300/4ख	0.173	72/1	2.023
300/5	0.405	72/2	0.728
301, 302	2.914	73	0.081
योग . . .	<u>205.873</u>	74/1	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—2640 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.		74/2	
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, नरसिंहपुर में किया जा सकता है.		74/3	2.124
		74/4	
		74/5	
		74/6	
प्र. क्र. 20 अ-82-वर्ष 2010-2011-पत्र क्र. 13602-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्र. 454-रा.शा.-एक-2-2011, जबलपुर दिनांक . . . . . से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—		75/1	1.015
		75/2	1.015
		75/3	1.000
		75/4	0.820
		75/5	0.405
		75/6	0.650
		75/7	0.618
		75/8	0.815
		75/9	1.015
		75/10	0.820
		75/11	0.405
(1) भूमि का वर्णन—		77/1	1.062
(क) जिला—नरसिंहपुर		77/2	4.739
(ख) तहसील—गाडरवारा		77/3	0.531
		77/4	0.531



(1)	(2)	(1)	(2)
47/1	0.354	152/1	1.457
47/2	0.354	152/2	0.728
47/3	0.354	153/1, 154/1	3.009
47/4	0.354	153/2, 154/3	0.243
48/1	2.702	154/2	0.325
48/2	1.012	155	0.325
48/3	0.348	156/1	0.898
49	1.498	156/2	0.522
49/2	0.202	157	1.927
49/3	0.202	158	0.304
49/4	0.202	160	0.267
81	0.030	161	3.346
82	0.510	162	0.283
83	1.133	163/1	1.902
86/1	0.101	163/2	0.809
89	0.121	164	1.469
112/1	0.922	165/1, 187/1	1.331
114	0.781	165/2	0.162
113, 115	1.862	165/3	0.162
118/1	0.206	167/1	2.181
118/2	0.206	167/2	1.202
119	0.552	167/3	0.178
134	0.081	167/4	1.761
135	0.510	168	2.331
136	1.708	172/1	1.619
137, 138, 139	3.727	172/2	1.619
140/2	0.729	172/3	0.837
141/1	0.693	172/4	0.971
141/2	0.694	172/5	0.971
141/3	0.693	172/6	0.971
142	2.003	172/7	0.971
143/1	1.012	172/8	0.971
143/2	2.029	172/9	0.971
143/3, 144//3	4.074	172/10	0.809
144/1	0.809	172/11	0.810
144/2, 145	2.485	172/12	1.012
144/4	0.405	172/13	0.810
146, 147	4.456	172/14	0.810
148	1.149	172/15	0.810
151/1	0.457	172/16	0.809
151/2	0.457	172/17	0.809
		172/18	0.809

(1)	(2)	(1)	(2)
172/19	1.619	201/2	0.308
172/20	1.619	202/1, 202/3	0.500
173/1, 174/1	0.938	202/2	0.147
173/2, 174/2	0.937	202/4, 202/5,	0.016
173/3, 174/3	0.938	202/6	
175/1	1.600	203	0.607
175/2, 177/4	0.939	204/1	1.295
175/3, 177/1	0.506	204/2	0.304
176, 208	0.898	204/3	0.304
177/2	0.008	204/4, 204/5	1.307
177/3	0.719	205/1	0.202
178, 179, 180	2.748	205/2	0.243
181	1.331	206	0.526
182	1.659	207	0.243
183/1	0.344	209/1	0.328
183/2	0.344	209/2	1.214
184	1.173	210	0.870
185	0.813	211	0.445
186	0.632	212, 213	1.263
187/2	1.493	214/1	1.012
188	1.384	214/2	1.619
189/1, 190/1	0.927	214/3	1.011
189/2	0.922	214/4	0.810
190/2	0.652	214/5	1.716
190/3	0.210	214/6	0.819
191/1, 191/2	1.519	214/7	0.819
191/3	1.349	214/8	0.809
191/4	1.349	214/9	0.809
192	3.319	214/10	0.809
193/1	1.720	215, 216/1	0.948
193/2	1.342	216/2	0.340
193/3	1.343	217, 218	2.031
193/4	1.342		
194, 195	1.611		
196/1	1.890		
196/2, 196/3,	3.072		
196/4, 197/1			
197/2	1.607		
198	0.243		
199, 200	2.355		
201/1	0.304		
		योग	166.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—2640 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, नरसिंहपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.